



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 131]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 30 मार्च 2015—चैत्र 9, शक 1937

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2015

क्र. एफ ए-3-17-2015-1-पांच (12).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 57 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-12-2010-1-पांच-(64) दिनांक 30 जून, 2010 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अमरकंटक से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं,
अर्थात्:—

सारणी

जांच चौकी एवं नाके के स्थान का नाम तथा विवरण
(1)

जांच चौकी एवं नाके की अवस्थिति
(2)

जबलपुर-अमरकंटक मार्ग पर, जिला डिण्डोरी में ग्राम तरेसा

जबलपुर-अमरकंटक मार्ग पर जबलपुर से
(अमरकंटक की ओर) 204-204.600
किलोमीटर के मध्य एकीकृत जांच चौकी।

2. यह अधिसूचना 01 अप्रैल 2015 से प्रवृत्त होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव।

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2015

क्र. एफ ए-3-17-2015-1-पांच (12).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-17-2015-1-पांच (12), दिनांक 30 मार्च 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव।

Bhopal, the 30th March 2015

No. F-A-3-17-2015-1-V-(12).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 57 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, makes the following amendment in this department's Notification No. F-A-3-12-2010-1-V-(64) dated 30th June, 2010, namely:—

AMENDMENT

In the said Notification, in the table, for the entry relating to Amarkantak, the following entry shall be substituted, namely:—

TABLE

Name and description of place of check post and barrier (1)	Location of check post and barrier (2)
Village Tarera in the District of Dindori on Jabalpur-Amarkantak Road.	A Integrated Checkpost between 204-204.600 K. M. from Jabalpur (towards Amarkantak) on Jabalpur-Amarkantak Road.

2. This Notification shall come into force from 01st April, 2015.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy.Secy.